

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 6 फरवरी 2018 — माघ 17, शक 1939

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2018

आदेश

क्रमांक एफ 1-11/2010/मबावि/50. — बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 18 के प्रावधानों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन हेतु छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-11/2010/मबावि/50 दिनांक 31-03-2017 के अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 17 जनवरी 2018 में समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुक्रम में राज्य शासन एतद्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 17 (2) के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में निम्नानुसार अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति करता है :-

अध्यक्ष - श्रीमती प्रभा दुबे, रायपुर

सदस्य -

1. श्री अंकित ओझा, दुर्ग
2. श्री अरविंद कुमार जैन, कांकेर
3. श्री दिलीप कुमार कौशिक, बिलासपुर
4. श्रीमती इंदिरा जैन, रायपुर
5. श्रीमती मीनाक्षी तोमर, दुर्ग
6. सुश्री टी.आर. श्यामा, रायगढ़

बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अनुसार अध्यक्ष और सदस्य उस रूप में उस तारीख से, जिसको वे अपना पदभार ग्रहण करते हैं, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे. बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 20 के अनुसार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन व शर्तें वे होंगी जो राज्य शासन द्वारा विहित की जायें. नियुक्त अध्यक्ष/सदस्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 तथा छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2009 में उल्लेखित प्रावधानों के प्रकाश में अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डॉ. अनिल चौधरी, संयुक्त सचिव.